

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— अविचल चतुर्वेदी
आई०ए०एस०



राजस्व अपील सं० 29/2018

1. मनरूप पुत्र हरबक्श जाति गुर्जर निवासी सींगपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 26.10.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल मु०नं० 1038/2017 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री ब्रजमोहन गौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 01.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा ने दिनांक 26.10.2017 को ग्राम सिंगपुरा तहसील दौसा के आ०ख० 266 में से 0.05 है० किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को पुख्ता मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल द्वारा दिनांक 26.10.2017 को पारित प्रश्नगत आदेश विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये गये हैं, केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बिशनपुरा की रिपोर्ट पर अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 17.52 है० के 0.05 है० भूभाग पर अपीलांट के पुश्तैनी पुख्ता मकान व पशुबाड़ा को अतिक्रमण बताकर अपीलांट को बेदखल किये जाने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलांट के रिहायशी पुश्तैनी मकान के संबंध में अब से पूर्व कोई कार्यवाही अतिक्रमण की नहीं की गई है। आराजी खसरा नम्बर 266 गै०मु०चरागाह में अपीलांट एवं ग्राम के करीब 50 व्यक्तियों के पुख्ता मकान व पशुबाड़े बने हुए हैं। इस भूभाग करीब 2 बीघाको आबादी भूमि में सैटअपार्ट हेतु ग्राम पंचायत बिशनपुरा ने ग्राम सभा में हुए निर्णय अनुसार प्रस्ताव सं० 14 दिनांक 24.4.2016 को पारित कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा से निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय दौसा दिनांक 27.6.2017 द्वारा ग्राम पंचायत के निवेदन को अस्वीकार फरमाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान सरकार को इस संबंध में निवेदन किया गया है। ग्राम सिंगपुरा में

(A)

आबादी भूमि की कमी होने के कारण अपीलांट व अन्य ग्रामवासीगण की बसावट चरागाह भूमि के 2 बीघा भू भाग पर 50 वर्षों पूर्व की बसी हुई है जिसमें अब से पूर्व अतिक्रमण के संबंध में कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ अशिक्षित विधि से अनभिज्ञ ग्रामीणों के विरुद्ध आवास विहीन करने के उद्देश्य से पटवारी हल्का द्वारा चरागाह पर अतिक्रमण की कार्यवाही को उप तहसीलदार ने मात्र विधिक दृष्टि से देखा है। अपीलाधीन आदेश के क्रियान्वयन से अपीलांट के परिवार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नहीं है। ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार भूमि जो वास्तविक रूप से आबादी भूमि है, को आबादी के रूप में परिवर्तित कर राहत दिया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.10.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि की किस्म चरागाह अंकित है। चरागाह भूमि पर अपीलांट द्वारा मकान व बाड़ा बनाया गया है। इसलिये अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि की किस्म चरागाह है एवं उक्त भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अचिन्त चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अचिन्त चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

